



दिनांक 11.10.2021

प्रेस विज्ञप्ति 11/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली शहर

- लूट की घटना का अनावरण
- 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 01 लाख 20 हजार रुपये नगद
- लूट का लैपटॉप, चार्जर, माउस, 02 पैन ड्राईव
- 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित कारतूस
- घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 11.10.2021 को थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काली मन्दिर चौराहा के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1-मौसम उर्फ मोहसीन 2-दीपक 3-मलखान 4-प्रवेन्द्र उर्फ गंजा को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 20 हजार रुपये नगद, लूट का लैपटॉप, चार्जर, माउस, 02 पैन ड्राईव, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। दिनांक 09.10.2021 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अन्तर्गत धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, लैपटॉप आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-मौसम उर्फ मोहसीन निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2-दीपक निवासी पृथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 3-मलखान निवासी पृथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 4-प्रवेन्द्र उर्फ गंजा निवासी पृथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

- 1-लूट के 01 लाख 20 हजार रुपये नगद।
- 2-लूट का लैपटॉप, चार्जर, माउस, 02 पैन ड्राईव।
- 3-04 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित कारतूस।
- 4-घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

जनपद बागपत/थाना खेकड़ा

- चोरी की घटना का अनावरण
- पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 13 लाख 50 हजार रुपये कीमत के चोरी की 57 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप आदि
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस
- 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर) बरामद

दिनांक 11.10.2021 को थाना खेकड़ा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डूण्डाहेडा रोड पर फायर सर्विस के आगे चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1-सोनू उर्फ साजिद घायल हो गया, जिसे अन्य अभियुक्त 2-अजीज सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से

लगभग 13 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी की 57 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप आदि, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसके विरुद्ध जनपद बागपत के थाना खेकड़ा पर चोरी, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं। दिनांक: 29.09.2021 को थाना खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अन्तर्गत धारा 380/411/420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोनू उर्फ साजिद निवासी नया नूरगंज थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

2—अजीज निवासी कच्ची सराय सक्को वाली गली थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—13 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी की 57 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप आदि।

2— 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

3— 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर-20

- 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 12 लाख 50 हजार रूपये नगद
- चोरी के भारी मात्रा में सोने/चौंदी के आभूषण एवं सामान
 - 01 चार पहिया वाहन
 - 01 दो पहिया वाहन बरामद

दिनांक 11.10.2021 को थाना सेक्टर-20 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर-25 गेट नं0-7 के पास से 02 शातिर अभियुक्तों 1-सिद्धार्थ 2-योगेश उर्फ चिन्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 12 लाख 50 हजार रूपये नगद, चोरी के भारी मात्रा में सोने/चौंदी के आभूषण एवं सामान, 01 चार पहिया वाहन, 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त योगेश उर्फ चिन्टू के विरुद्ध दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास आदि के 15 अभियोग तथा अभियुक्त सिद्धार्थ के विरुद्ध दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा कालोनियों के बन्द घरों से चोरी की घटनाए कारित करते है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-20 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-सिद्धार्थ निवासी ग्राउण्ड फ्लोर सेक्टर-22, गौतमबुद्धनगर।
- 2-योगेश उर्फ चिन्टू निवासी बेस्ट गौरखपार्क सहादरा दिल्ली।

बरामदगी

- 1-चोरी के 12 लाख 50 हजार रूपये नगद।
- 2-चोरी के भारी मात्रा में सोने/चौंदी के आभूषण एवं सामान।
- 3- 01 चार पहिया वाहन।
- 4- 01 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना टुण्डला

- लूट की घटना का अनावरण
- 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 52 हजार 200 रुपये नगद
 - लूट के 01 टैबलेट
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद
 - घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन बरामद

दिनांक 10.10.2021 को थाना टुण्डला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसई से मोहम्मदपुर जाने वाली पुलिया के पास 02 अभियुक्तों 1—सुग्रीव 2—गड्डू उर्फ दिवाकर उर्फ ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 52 हजार रुपये 200 रुपये नगद, लूट के 01 टैबलेट, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुग्रीव के विरुद्ध जनपद आगरा, फिरोजाबाद व छत्तीगढ़ के विभिन्न थानो पर लूट, अपहरण, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। जनपद फिरोजाबाद के थाना टुण्डला व जनपद आगरा के थाना खन्दौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना टुण्डला व थाना खन्दौली जनपद आगरा पर अन्तर्गत धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, टैबलेट उक्त लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना टुण्डला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुग्रीव निवासी अभयपुरा थाना सादाबाद कोतवाली जनपद हाथरस।

2—गुड्डू उर्फ दिवाकर उर्फ ओमप्रकाश निवासी गौधीनगर फूल वाली गली थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

बरामदगी

1—लूट के 52 हजार रूपये 200 रूपये नगद।

2— लूट के 01 टैबलेट।

3— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

4— घटना में प्रयुक्त 02 पहिया वाहन।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना चिनहट

- पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
 - 30 हजार 600 रूपये नगद
 - 05 हजार विदेशी मुद्रा
 - चाँदी के आभूषण
- 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूस
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस
- आधार कार्ड, पासबुक व चोरी करने के उपकरण आदि बरामद

दिनांक 11.10.2021 को थाना चिनहट व गोमतीनगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विकल्प खण्ड रेलवे पटरी के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1—शेख रूबेल उर्फ रबीउल 2—आलम उर्फ अल—अमीन घायल हो गया, जिसे अन्य अभियुक्त 3—रबीउल सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 30 हजार 600 रूपये नगद, 05 हजार विदेशी मुद्रा (बांग्लादेशी मुद्रा), चाँदी के आभूषण, 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित

कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, आधार कार्ड, पासबुक व चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुये। घायलों का उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो बांग्लादेश के निवासी हैं। गैंगलीडर द्वारा बताये गये शहर में अभियुक्त द्वारा पहुँचकर वहाँ पर रैकी कर लूट/चोरी आदि की घटनाएँ कारित करते हैं। जिसके सम्बन्ध में कमिश्नरेंट लखनऊ, वाराणसी व जनपद कटनी म0प्र0 थानों में डकैती, चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिसके अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना चिनहट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-शेख रुबेल उर्फ रबीउल निवासी सनकीभगा थाना मोर्लगंज जनपद खुलना , बांग्लादेश।
- 2-आलम उर्फ अल-अमीन निवासी अमरागासिया थाना रेन्डा शोरन जनपद खुलना, बांग्लादेश।
- 3- रबीउल निवासी ग्राम कलिकाबरी थाना मोर्लगंज, बांग्लादेश।

बरामदगी

- 1-30 हजार 600 रूपये नगद।
- 2-05 हजार विदेशी मुद्रा (बांग्लादेशी मुद्रा)।
- 3- चॉदी के आभूषण,।
- 4-01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित कारतूस।
- 5- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।
- 6- आधार कार्ड, पासबुक व चोरी करने के उपकरण आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना चुनार

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 11.10.2021 को थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिठोरी पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त उमेश उर्फ मुखिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चुनार पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चुनार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—उमेश उर्फ मुखिया निवासी देल्हुवा थाना कोचस जनपद रोहतास, बिहार।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा मय कारतूस।

जनपद अमेठी/थाना अमेठी

- पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 11.10.2021 को थाना अमेठी व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अन्तू बाई पास अमेठी से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद प्रतापगढ़ से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अमेठी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी जोगापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद बाराबंकी / थाना सतरिख

● 04 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार

- लगभग 03 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 95 ग्राम अवैध मारफीन बरामद

दिनांक 11.10.2021 को थाना सतरिख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बक्की बाबा पुल से 04 मादक पदार्थ तस्करों 1—सद्दाम 2—सलमान 3—राजबाबू 4—अब्दुल फरीद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 95 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सतरिख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सद्दाम निवासी मोहल्ला बाजार कस्बा व थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

2—सलमान निवासी मोहल्ला कायस्थाना कस्बा व थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

3—राजबाबू निवासी मोहल्ला कायस्थाना कस्बा व थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

4—अब्दुल फरीद निवासी मोहल्ला पहेतिया कस्बा व थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1— लगभग 03 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 95 ग्राम अवैध मारफीन।

जनपद बरेली/थाना सुभाषनगर

- 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- 234 ग्राम अवैध अफीम बरामद

दिनांक 10.10.2021 को थाना सुभाषनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करेली मोड़ के पास से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1—मनोज 2—अमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 234 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सुभाषनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—मनोज निवासी करेली थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।
- 2—अमन निवासी करेली थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

बरामदगी

1—234 ग्राम अवैध अफीम।

➤ जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या: 08, सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि व 25(1—बी) आर्म्स एक्ट में अभियुक्त 1—अनिल कुमार 2—प्रमोद कुमार को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।